"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 — भाद्रपद 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

अधिसूचना
सं.19/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-64/2017/वाक/पांच(113). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित छत्तीगसढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69), तारीख 28 जून, 2017 में,निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-9 प्रतिशत में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए टयूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन सिलेंडर जिनकी क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8413 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस

(1)	(2)	(3)
452ङ	8708 10 10	ट्रैक्टर के लिए बम्पर और उसके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के लिए ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के लिए गियर बॉक्स और उसके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के लिए ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के लिए रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और एक्सेसरीज
452ञ	8708 91 00	(i)ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे (ii)ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के लिए साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के लिए क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेटस, ईंधन टेंक और उनके कलपुर्जे "

3. यह अधिसूचना 18 अगस्त, 2017 से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-10-64/2017/वाक/पांच(113). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-64/2017/वाक/पांच(113), दिनांक 18-08-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th August 2017

NOTIFICATION
No.19/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-64 /2017/CT/V (113). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 1/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

2. In the said notification, in Schedule III – 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors
452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
452J	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
452K	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors".

3. This notification shall come into force with effect from 18 August, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.